न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 09/2016
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2016/00098

अपीलान्ट

1. सोहनसिंह पुत्र सांगसिंह
2. चुतरसिंह पुत्र मोतीसिंह
3. गंगासिंह पुत्र बीजराजसिंह
4. उम्मेदसिंह पुत्र कानसिंह निवासीगण राजगढ बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. बाबुकंवर पत्नी गजेसिंह के कायम मुकाम
   1/1 भंवरी कंवर पुत्री बाबुकंवर पत्नी गजेसिंह राजपुत निवासी कालीजाल तहसील लूणी जिला जोधपुर
2. भोमसिंह पुत्र खेतसिंह नाबालिग जरिये माता पपुकंवर पत्नी खेतसिंह
3. पपुकंवर पत्नी खेतसिंह निवासी राजगढ बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर
4. सरपंच ग्राम पंचायत बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत बेलवा नामान्तरकरण संख्या 127/1 दिनांक 30.08.1968 के विरूद्व अपील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

अधिवक्तागण :–
1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेन्टगण 01 से 04 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 5/2/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा एक म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

ग्राम राजगढ पटवार हल्का बेलवा तहसील बालेसर मे स्थित खसरा नम्बर 2082, 2094, 2185 भूमि आई हुई है जो मेराजसिंह पुत्र धोकलसिंह के नाम से दर्ज थी। मेराज सिंह के जीवनकाल मे कोई शादी नही की तथा वह अविवाहित ही फौत हुए थे। रेस्पोडेन्ट का मेराजसिंह से कोई नजदीक रिश्तेदारी नही है ओर न ही सगे भाई के लड़के है। मेराजसिंह के रेस्पोडेन्ट न तो प्रथम श्रेणी के उत्ताराधिकारी है न ही अन्य प्रकार से उत्तराधिकारी है। हरींगसिंह के पॉच पुत्र कमशः रामसिंह, संग्रामसिंह, मदरूपसिंह, जोरसिंह व तेजसिंह हुए। संग्रामसिंह के वारिसान मेहराजसिंह व मोतीसिंह हुए दोनो ही लाऔलाद [illegible] तरह संग्रामसिंह के अन्य कोई वारिसान नही होने से मेराजसिंह का नजदीकी वारीसान [illegible]सिंह, [illegible]रूपसिंह, जोरसिंह एवं तेजसिंह के वारीशान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 मेराजसिंह के प्रथम [illegible] के वारीशान की सुचित मे वंशावली के अनुसार नही आते है इस [illegible]तकरण गैर कानुनी बिना [illegible] प्रकिया अपनाये स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा नामा[illegible]रण संख्या 127/1 दिनांक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner

1968 को अपास्त करने एवं हरींगसिंह के सभी वारिसान की जॉच कर विधि अनुसार पुनः नामान्तकरण दर्ज करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से नामान्तकरण की नकल दिनांक 30.08.2016 को प्राप्त करने के लिए हल्का पटवारी से निवेदन किया दिनांक 30.08.2016 को उक्त नकल प्राप्त की तथा अपीलान्ट को अपीलीधन नामान्तकरण बाबत् कानुनी रूप से कोई जानकारी नही थी। जानकारी के दिनांक 30.08.2016 को उक्त अपील को अन्दर म्याद सुमार करवाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को नोटिस जारी किया गया। रजिस्टर ए.डी की रसीदे शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्टगण को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अवसर दिये जाने के बावजुद रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में बहस की गई। बहस सूनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के संलग्न धारा 05 म्याद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलान्ट द्वारा यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट को राजस्व रेकर्ड की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.08.2016 को हुई। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर अपीलान्ट का धारा 05 म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उक्त अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि स्व. मेराजसिंह के विधिक वारीसों की बिना जॉच किये अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया है। अपीलान्ट नामान्तकरण मे स्व. मेराजसिंह अगर अविवाहित फौत हुए है तो सम्पूर्ण वंशावली की जॉच करते हुए इनके हिस्से का समस्त पात्र खातेदारों के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत) द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 127/1 दिनांक 30.08.1968 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के मध्यनजर विधि विपरित होने के कारण न्यायसंगत प्रतीत नही होता है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्टगण की स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बेलवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण 127/1 दिनांक 30.08.1968 मौजा बेलवा को अपास्त किया जाकर तहसीलदार बालेसर को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो इस प्रकरण में स्व. मेराजसिंह के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसो की जांच करते हुए समस्त खातेदारो को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित कर विधिक वारिसों के नाम नामान्तरकरण भंरने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बालेसर को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 5/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:48 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
राजस्थान प्रशासनिक सेवा
उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner